**Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Ltd.**
**(Formerly RSBCC Ltd.)**
(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)
CIN No. U45203RJ1979SGC001853
***Regd. Office : Setu Bhawan, Opposite Jhalana Doongari, Jaipur-Agra Bypass, Jaipur-302004***
**LC**

**B-19(46)LC/RTPP/22/** 4182 **Date:-** 20.05.2022

अतिआवश्यक

**परियोजना निदेशक,**
**आर.एस.आर.डी.सी.लि.,**
**इकाईः— विद्युत—प्रथम, जयपुर।**

**विषयः— प्रथम** अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के अन्तर्गत दायर प्रथम अपील 46/2022 मैसर्स ऋषि राज सिंह बनाम प्रबन्धक(रोड), आर.एस.आर.डी.सी. एवं मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2022 को आर.एस.आर.डी.सी.लि. के पोर्टल पर अपलोड करने के क्रम में।

**महोदय,**

विषयान्तर्गत दर्शित प्रथम अपील में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2022 की प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न कर अनुरोध है कि निर्णय को आर.एस.आर.डी.सी.लि. के पोर्टल पर अविलम्ब अपलोड करते हुये अपलोड की सूचना विधि अनुभाग को देने का श्रम करें।

**भवदीय,**

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

20.5.22
**(विभात सींवर)**
**वरिष्ठ विधि अधिकारी**

# कार्यालय प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आर.एस.आर.डी.सी. लि., जयपुर

अपील संख्या 46/2022

मैसर्स ऋषि राज सिंह अपीलार्थी

**बनाम**

प्रबन्धक(रोड) , आर.एस.आर.डी.सी.लि.,जयपुर एवं मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट प्रत्यार्थी

**प्रथम अपीलीय प्राधिकारी – संजय सक्सेना (महाप्रबन्धक)**

उपस्थित –

1. अपीलार्थी की ओर से – अधिकृत अधिवक्ता, श्री प्रमोद कालीराणा
2. प्रत्यार्थी ओर से – 1. अधिकृत अधिवक्ता, श्री डेविड महला
   2. प्रबन्धक (रोड), आर एस आर डी सी

## निर्णय

दिनांक :– 20.05.2022

यह है कि वर्तमान अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अन्तर्गत धारा– 38 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 सपठित राजस्थान लोक उपापन में पारदिर्शिता नियम, 2013 अपीलार्थी **मैसर्स ऋषि राज सिंह** द्वारा दिनांक 13.04.2022 को दायर की गईं, जो निर्धारित प्रारूप में नहीं थी। **अपीलार्थी** द्वारा पुन निर्धारित प्रारूप में प्रथम अपील दिनांक 22.04.2022 को पेश की गई।

अपील के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि टोल रोड मगंलवार– निम्बाहेडा पर राजस्थान राज्य सडक विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड में पंजीकृत टोल कलेक्शन ठेकेदारों से पथ कर वसूली हेतु निविदा संख्या 366/2021–22 दिनांक 28.02.2022 को जारी कर निर्धारित प्रपत्र में ई– प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु निविदा अपलोड कर निविदा प्रपत्र को डाउनलोड करने की अवधि दिनांक 02.03.2022 प्रात 9.30 बजे से दिनांक 21.03.2022 सायंकाल 6.00 बजे तक प्रदत्त की गई। निविदा में यह भी निर्धारित किया गया कि जितने भी निविदा प्रपत्र दिनांक 21.03.2022 सायंकाल 6.00 बजे तक प्राप्त होगे, उन्हे आर एस आर डी सी मुख्यालय पर दिंनाक 22.03.2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली जायेगी।

यह है कि दिनांक 21.03.2022 को सायंकाल 6.00 बजे तक कुल चार निविदा प्रपत्र निविदाकर्ताओं के प्राप्त हुयें।

यह है कि दिनांक 21.03.2022 को प्राप्त सभी निविदा प्रपत्र का तकनीकी मूल्यांकन निर्धारित तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा दिंनाक 30.03.2022 को खोला गया, सभी निविदाकर्ताओं की निविदाओं को उनके

द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात की सत्यतता के आधार पर सिवाय मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट जिसके द्वारा निविदा के साथ अमानत राशि निविदा कीमत की 2 प्रतिशत अर्थात् 30 लाख 66 हजार 900 रूपयें जमा होने का प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण उसकी निविदा को निविदा के तकनीकी मूल्यांकन के स्तर पर ही असफल घोषित किया गया, के अलावा शेष अन्य निविदाकर्ताओं की वित्तीय बिड दिनांक 01.04.2022 को खोली गई।

यह है कि मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट द्वारा प्रत्यार्थी प्रबन्धक, रोड, को यह जानकारी दी गई कि उनके द्वारा पूर्व में ही निगम के खाते में अमानत राशि से ज्यादा राशि जमा है, जिसे समायोजित कर तकनीकी मूल्यांकन समिति पुनः अवलोकन करे एवं तकनीकी मूल्यांकन स्तर पर उनकी निविदा को सफल माना जाये।

यह है कि तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा स्वयं के निर्णय दिनाक 30.03.2022 का पुनर्विलोकन कर मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट द्वारा अन्य निविदा के पेटे जमा वांछित अमानत राशि से अधिक जमा राशि को समायोजित कर दिनांक 04.04.2022 को तकनीकी मूल्यांकन स्तर पर सफल घोषित किया गया।

यह है कि अपीलार्थी मैसर्स ऋषिराज सिंह द्वारा उपरोक्त अपील मूल रूप से तकनीकी मूल्यांकन समिति के निर्णय दिनांक 30.03.2022 को पुनर्विलोकन कर मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट को तकनीकी मूल्याकन में सफल घोषित करने के विरूद्व दायर की गई है।

अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील इस आधार पर दायर की गई है कि प्रत्यार्थी मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट को तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा दिनाक 30.03.2022 को निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि जमा होने के प्रमाण पत्र के अभाव में उनकी निविदा को असफल मानने का निर्णय तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा लिया जाकर शेष सफल अन्य सभी निविदाकर्ताओं की वित्तीय बिड दिनांक 01.04.2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली गई, जिसमें अधिकतम दर अपीलार्थी की पाई गई।

यह है कि मैसर्स देवदशरथ एसोसियेट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनाक 01.04.2022 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा एक अन्य निविदा जो मेडता– रास टोल रोड से सम्बन्धित थी, में वांछित अमानत राशि से अधिक राशि राजस्थान राज्य सडक विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के खाते में जमा की गई थी, उस राशि को वर्तमान निविदा की अमानत राशि में समायोजित कर उनकी तकनीकी निविदा पर पुनः विचार कर सफल घोषित किया जायें।

यह है कि तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मैसर्स देवदशरथ एसोसियेट की निविदा की पुनः जॉच की गई एवं तकनीकी मूल्यांकन समिति ने अपने ही पूर्व निर्णय दिनांक 30.03.2022 को बदलते हुये मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट को तकनीकी निविदा मूल्यांकन में सफल घोषित करने का निर्णय दिनांक 04.04. 02022 को लिया जाकर उसे पोर्टल पर अपलोड किया गया एवं दिनांक 06.04.2022 को वित्तीय बिड खोली गई जो अन्य निविदाकर्ताओं की तुलना में उच्चतर निविदा दर पाई गई।

यह है कि अपीलार्थी द्वारा वर्तमान उपरोक्त अपील इस आधार पर दायर की गई है कि किसी अन्य निविदा में जमा अमानत राशि को समायोजित करने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है, सम्बन्धित प्रकरण में निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि 21.03.2022 सांयकाल 6.00 बजे तक नियत थी जबकि टोल रोड मेडता– रास जिसकी निविदा की अमानत राशि को वर्तमान निविदा में समायोजित किया गया है। उसे दिनांक 24.03.2022 को निरस्त किया गया है।

तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मेडता– रास रोड में प्रत्यार्थी मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट की जमा अमानत राशि को वर्तमान निविदा में समायोजित करने की कार्यवाही विधिक प्रावधानों के विपरित की गई है एवं अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थी की दर वित्तीय बिड जो दिनांक 01.04.2022 को खोली गई थी, में उच्चतर निविदा दर थी। इसलियें अपीलार्थी को वर्तमान निविदा से सम्बन्धित टोल रोड का कार्यादेश प्रदत्त किया जावें एवं तकनीकी मूल्यांकन समिति के निर्णय प्रत्यार्थी संख्या 1 के क्रम में निरस्त फरमाया जावें।

यह है कि अपीलार्थी द्वारा दिंनाक 22.04.2022 को निर्धारित प्रारूप में अपील प्राप्त होने पर अपील में सुनवाई हेतु दिनांक 29.04.2022 (समय दोपहर 12.30 बजे) नियत की गई तथा पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गयें।

यह है कि दिंनाक 29.04.2022 को सभी पक्षकारान उपस्थित। सुनवाई हेतु अग्रिम तारीख दिनांक 04.05.2022 नियत की गई।

यह है कि सुनवाई दिनांक 04.05.2022 को सभी पक्षकारान उपस्थित। प्रत्यार्थी संख्या 1 द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा गया। सुनवाई के लिये अग्रिम दिनांक 12.05.2022 नियत की गई।

यह है कि सुनवाई दिंनाक 12.05.2022 को सभी पक्षकारान उपस्थित। प्रत्यार्थी संख्या 1 मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत किया गया अपीलार्थी द्वारा जवाब का जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। अग्रिम सुनवाई दिंनाक 16.05.2022 नियत की गई।

यह है कि दिनांक 16.05.2022 को सभी पक्षकारान उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री प्रमोद कालीराणा प्रत्यार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री डेविड महला एवं प्रत्यार्थी संख्या 2 प्रबन्धक रोड श्री उमेश गर्ग को विस्तार से सुना गया।

यह है कि अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ संलग्न अभ्यावेदन के तथ्यों को प्रस्तुत किया गया मूल रूप से उनके अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत निविदा के सभी शर्तो को एवं प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरान्त तकनीकी मूल्यांकन जॉच उपरान्त सफल पाये जाने पर अन्य सफल निविदाकर्ताओं के साथ दिंनाक 01.04.2022 को वित्तीय बिड खोली गई, जिसमें अधिकतम निविदा दर अपीलार्थी की पाई गई, अपीलार्थी का यह भी कथन है कि वित्तीय बिड खोलने के उपरान्त दिंनाक 04.04.2022 को तकनीकी निविदा में असफल मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट की निविदा में वांछित अमानत राशि को अन्य निविदा मेडता– रास टोल रोड में जमा अमानत राशि का समायोजन कर वर्तमान निविदा टोल रोड मंगलवार– निम्बाहेडा में की तकनीकी मूल्यांकन स्तर पर सफल मानने का निर्णय दिंनाक 04.04.2022 को लिया जाकर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42 (4) एवं (5) की अवहेलना की गई है। प्रत्यार्थी संख्या 1 के सन्दर्भ में बिना अमानत राशि जमा निविदा को तकनीकी मूल्यांकन में सफल माने जाने का तकनीकी मूल्यांकन समिति के निर्णय को अपास्त कर नियमानुसार वर्तमान निविदा में कार्य आवंटित अपीलार्थी को किया जाना चाहिए।

यह है कि प्रत्यार्थी संख्या 1 मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट के अधिवक्ता द्वारा मूल रूप से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी की अपील में वांछित राहत का कोई उल्लेख नही किया गया है ना ही विवादित आदेश दिंनाक 04.04.2022 को अपील में प्रस्तुत किया गया हैं। इसलिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 13 के नियम 83 के प्रावधान के अनुरूप अपीलार्थी की अपील ग्राह्य योग्य नहीं है। अपील को निरस्त करने का अनुरोध

किया गया। यह भी कथन किया गया है कि मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट की तकनीकी बिड को तकनीकी मूल्यांकन समिति में जॉच उपरान्त दिंनाक 04.04.2022 को तकनीकी निविदा में सफल घोषित कर पोर्टल पर दिनांक 04.04.2022 को ही अपलोड किया गया तत्पश्चात् दिनांक 06.04.2022 को वित्तीय बिड खोली गई, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 में अपील के लिये निर्धारित सीमा के गुजरने के उपरान्त दायर की गई है। अतः मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट की निविदा दर अन्य निविदाकर्ताओं से अधिक होने के कारण टोल रोड मंगलवार– निम्बाहेडा पर टोल संग्रहण का कार्य उनकी फर्म को आवंटित किया जाये।

यह है कि प्रत्यार्थी संख्या 2 द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रत्यार्थी संख्या 1 मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट द्वारा दिनांक 21.03.2022 को प्रस्तुत निविदा प्रपत्र में अमानत राशि का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण उनकी निविदा को तकनीकी मूल्यांकन स्तर पर असफल घोषित किया गया तदानुसार दिंनाक 01.04.2022 को अन्य निविदाकर्ता जो तकनीकी मूल्यांकन में सफल पाये गये की वित्तीय बिड दिंनाक 01.04.2022 को खोली गईं, दिंनाक 01.04.2022 को मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट द्वारा उनके पूर्व प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2022 का स्मरण कराते हुये यह अनुरोध किया गया है कि राजस्थान राज्य सडक विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के खाते में मेडता– रास टोल रोड से सम्बन्धित निविदा में अमानत राशि वांछित राशि से कहीं अधिक जमा होने के कारण अधिक जमा राशि को वर्तमान निविदा में समायोजित कर पुनः जॉच की जाये एवं उनकी निवदा पर पुनः विचार किया जायें।

यह है कि कमेटी ने जॉच उपरान्त यह पाया कि मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट द्वारा टोल रोड मेडता–रास की निविदा में वांछित अमानत राशि से अधिक राशि राजस्थान राज्य सडक विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के खाते में जमा है, अधिक राशि टोल रोड मंगलवार– निम्बाहेडा टोल की निविदा में वांछित अमानत राशि से अधिक है, इसलिये जमा अधिक राशि का समायोजन कर तकनीकी मूल्यांकन समिति के पूर्व निर्णय दिंनाक 30.03.2022 जिसमें मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट को असफल घोषित किया गया था, पर पुनः विचार कर तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा दिंनाक 04.04.2022 को तकनीकी मूल्यांकन में सफल माना जाकर तकनीकी मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट दिनांक 04.04.2022 को ही अपलोड की गई एंव दिंनाक 06.04.02022 को तकनीकी बिड खोली गई, तकनीकी बिड में मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट की निविदा दर अपीलार्थी से भी अधिक पाई गई। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा लिया गया निर्णय किसी द्वेष भाव में ना लिया जाकर निगम हित में लिया गया है।

## निर्णय

यह है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं प्रत्यार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व संलग्न दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व परिशीलन किया गया राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42(4) व (5) जो निम्न प्रकार है का गहनता से अवलोकन किया गया।

नियम 42(4):– बोली प्रतिभूति लिखत या बोली प्रतिभूति की नकद रसीद या बोली प्रतिभूत करने की घोषणा आवश्यक रूप से मुहरबंद बोली के साथ होगी।
नियम 42(5):– उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतीक्षित विनिश्चय के संबंध में रखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति मे समायोजित नहीं की

जायेगी। तथापि, मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।

उपरोक्त उल्लेखित नियमानुसार स्पष्ट है कि प्रत्येक निविदाकर्ता को प्रतिभूति लिखित (अमानत राशि) या उसकी नगद राशि या प्रतिभूति करने की घोषणा आवश्यक रूप से बोली के साथ अर्थात् निविदा प्रपत्र में अपलोड करनी होगी, अन्य निविदा की प्रतिभूति नई निविदा के लिये निविदा प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेगी। मेरा यह निश्चय अभिमत है कि तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मेडता– रास टोल रोड जो दिनांक 24.03.2022 को निरस्त की गई थी, में मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट द्वारा निगम खाते में जमा अधिक आमनत राशि को वर्तमान मंगलवार– निम्बाहेडा टोल सग्रहण की निविदा में वांछित अमानत राशि का समायोजित कर पूर्व के निर्णय दिंनाक 30.03.2022 जिसमें मैसर्स देवदशरथ को तकनीकी मूल्यांकन स्तर पर ही निविदा में अमानत राशि की जमा प्रमाण पत्र के अभाव में असफल घोषित किया गया था जिसे बाद में मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट के अनुरोध पर निगम खाते में जमा अमानत की अन्य निविदा की राशि को समायोजित कर स्वयं के निर्णय दिनांक 30.03.2022 का पुनर्विलोकन कर दिनांक 04.04.2022 को सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया तकनीकी मूल्यांकन समिति की यह कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42(4) व (5) के प्रतिकूल पाई जाने के कारण अवैधानिक की जानी है।

यह है कि प्रत्यार्थी का यह कथन है कि अपीलार्थी द्वारा अपील में वांछित राहत का स्पष्ट उल्लेख नहीं है ना ही विवादित आदेश अपील के साथ संलग्न किया गया है इसलियें अपीलार्थी की अपील के खारिज की जाये का अनुरोध इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ अभ्यावेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है, उसमें प्रत्यार्थी संख्या 1 मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट के सन्दर्भ में समिति द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही से अवगत करवाया गया हैं। वर्तमान अपील को निगम हित में इस प्रकार निस्तारित किया जाता है, कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रपत्र में निविदा में वर्णित सभी शर्तो एवं प्रावधान की पूर्ण पालना की गई है किसी भी दृष्टि में अपीलार्थी की निविदा में कोई कमी ना होने के कारण अपीलार्थी की अपील को इस प्रकार निस्तारित किया जाता है कि वर्तमान टोल रोड पर निगम को प्राप्त होने वाले राजस्व की किसी भी प्रकार की हानि ना उठानी पडे इसलिये अपीलार्थी मैसर्स देवदशरथ ऐसोसियेट द्वारा प्रदत्त निविदा दर पर मंगलवार– निम्बाहेडा टोल रोड पर टोल संग्रहण की सहमति प्रदत्त करे, तो अपीलार्थी को कार्य आवंटित करने का अवसर प्रदत्त किया जाना न्यायोचित है अन्यथा स्थिति में वर्तमान निविदा संख्या 366/20.02.2022 को निरस्त कर अल्पकालीन नवीन निविदा नियमानुसार जारी करे, निगम के हित को देखते हुए यह भी निर्देशित किया जाता है कि निर्णय की पालना में सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 24.05.2022 तक पूर्ण की जावें।

**निर्णय आज दिनांक 20.05.2022 को जारी किया गया ।**

**प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ,**

20/5/2022

**( संजय सक्सैना )**

**आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर।**